Ministry of Home Affairs-Major Achievements, significant Development and important events for the month of December, 2018.

A meeting of the High level Committee (HLC) was held under the Chairmanship of Hon'ble Home Minister on 06.12.2018 and 17.12.2018 for Central Assistance to the States of Andhra Pradesh and Odisha for being affected by Cyclone "Titli" and to the State of Kerala for being affected by Flood; and to the State of Nagaland for being affected by landslides in 2018.

2. On 26.12.2018, a meeting of the Sub-Committee of National Executive Committee (SC-NEC) was held under the Chairmanship of Union Home Secretary for Central Assistance to the State of Tamil Nadu for Cyclone "Gaja".

3. The Committee set up under the Chairpersonship of Special Secretary (IS), MHA to consider grant of ST status to six communities in Assam submitted its report on 28.12.2018 at New Delhi.

4. Vide Notification No. 6389 (E) dated 30.12.2018, entire State of Nagaland has been declared as 'disturbed area' for a period of six months w.e.f. 30.12.2018 under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958.

5. A total Number of 74 Coys of CAPFs were deployed in various States for maintaining law and order during Friday Prayer, Observance of Black Day, Mandala Makaravilakku Festival, Sabrimala Temple, visit of VVIP, Dharam Sabha organized by Vishwa Hindu Parishad at Ram Lila Ground, Delhi, Christmas Festival etc.

6. On the request of Government of Uttar Pradesh 70 Coys of CAPs and 10 Advance Security Check Teams were ordered to be deployed for security arrangements during Kumbh Mela 2019. On the request of Delhi Police 48 coys of CAPFs have been ordered to be deployed for security arrangements in connection with Republic Day Celebration 2019.

7. On the recommendation of Election Commission of India, 21 Coys order for Retention/De-Induction of CAPFs were issued for Bye-Election's EVM Guarding/Counting duties at Gujarat, Jharkhand Bye-Election.

8. On 26.12.2018, Central Government designated 'Khalistan Liberation Force (KLF) and all its manifestations' as terrorist organisation by adding to the First Schedule of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967).

9. The Government has approved the Scheme "Revamping of BADP" and its continuation upto March 2020 with financial allocation of Rs. 3640 crore.

10. A total of 194.99 km. of Indo Nepal Border Roads have been completed till the end of this month.

11. The Technical Advisory Committee (TAC) has been constituted for advice on all census related issues related to Census 2021.

12. The National Register of Citizens (NRC) 1951 in Assam is being updated under the provisions of Citizenship Act, 1955 and the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003. The applications for preparation of NRC in Assam were invited in May-August, 2015 and after necessary scrutiny and verification, the complete draft NRC has been published on 30.07.2018. The process of receipt of claims and objections on the draft NRC has been completed on 31.12.2018. After the disposal of claims and objections, the NRC is to be finalized as per the time lines approved by the Hon'ble Supreme Court of India.

13. A meeting of the SRE Standing Committee was held by Special Secretary (IS) on 11.12.18 to consider reimbursement of claims under the Security Related Expenditure scheme for the year 2017-18.

14. An amount of Rs.27.35 crore was released to the States of Gujarat and Punjab under the relevant sub schemes of the umbrella scheme for Modernization of Police Forces, during the month.

15. During the month an amount of Rs.24.48 crore was released to the State Governments of Manipur, Meghalaya and Nagaland. The total funds released under Border Area Development Programme (BADP) for the financial year 2018 -19 (as on 31.12.2018) works out to be Rs.662.47 crore.

16. During the month an amount of Rs.4.65 crore approximately has been sanctioned as ex-gratia compensation to the NOKs of CAPFs.

****

दिसम्बर, 2018 माह में गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम

चक्रवात "तितली" से प्रभावित आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों तथा बाढ़ से प्रभावित केरल राज्य; और वर्ष 2018 में भू-स्खलन से प्रभावित नागालैंड राज्य को केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06.12.2018 और 17.12.2018 को आयोजित की गई।

2. चक्रवात "गज" से प्रभावित तमिलनाडु राज्य को केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति की बैठक केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 26.12.2018 को आयोजित की गई।

3. असम में छः समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किए जाने पर विचार करने हेतु विशेष सचिव (आईएस), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित समिति ने दिनांक 28.12.2018 को नई दिल्ली में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

4. संपूर्ण नागालैंड राज्य को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 30.12.2018 की अधिसूचना सं. 6389 (अ) के तहत दिनांक 30.12.2018 से छः माह की अवधि के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है।

5. शुक्रवार की नमाज, काला दिवस मनाए जाने, मण्डल मकराविलक्कू उत्सव, सबरीमाला मंदिर, अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे, विश्व हिंदू परिषद द्वारा रामलीला ग्राउंड, दिल्ली में आयोजित धर्मसभा, क्रिसमस त्यौहार आदि के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल 74 कंपनियां तैनात की गईं।

6. उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर कुंभ मेला 2019 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 70 कंपनियों तथा एडवांस सिक्युरिटी चैक की 10 टीमों को तैनात किए जाने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर गणतंत्र दिवस समारोह, 2019 के संबंध में सुरक्षा इंतजामों के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 48 कंपनियों को तैनात किए जाने का आदेश दिया गया है।

7. भारत निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर गुजरात, झारखंड उप-चुनाव में ईवीएम की रक्षा/गणना संबंधी ड्यूटी के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 40 कंपनियों के रिटेंशन / डि-इंडक्शन हेतु आदेश जारी किए गए।

8. केन्द्रीय सरकार ने विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की प्रथम अनुसूची में शामिल करके दिनांक 26.12.2018 को 'खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स (केएलएफ)' तथा इसके सभी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया।

9. सरकार ने 3640 करोड़ रु. के वित्तीय आबंटन से "बीएडीपी में सुधार" नामक स्कीम तथा इसे मार्च 2020 तक जारी रखे जाने को अनुमोदन प्रदान किया है।

10. भारत-नेपाल सीमा पर इस माह के अंत तक कुल 194.99 कि.मी. सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

11. जनगणना 2021 से संबंधित सभी जनगणना मुद्दों पर सलाह के लिए तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) गठित की गई है।

12. असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) 1951 को नागरिकता अधिनियम, 1955 तथा नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान कार्डों का निर्गम) नियम, 2003 के अंतर्गत अद्यतन किया जा रहा है। असम में एनआरसी तैयार करने के लिए मई-अगस्त, 2015 में आवेदन आमंत्रित किए गए थे और आवश्यक जांच और सत्यापन के बाद एनआरसी का संपूर्ण प्रारूप दिनांक 30.07.2018 को प्रकाशित किया गया है। एनआरसी के प्रारूप पर दावों एवं आपत्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया दिनांक 31.12.2018 को पूरी कर ली गई है। दावों और आपत्तियों के निपटान के बाद, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित समय सीमा के अनुसार एनआरसी को अंतिम रूप दिया जाना है।

13. वर्ष 2017-18 के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय स्कीम के अंतर्गत दावों की प्रतिपूर्ति पर विचार करने के लिए दिनांक 11.12.2018 को विशेष सचिव (आईएस) द्वारा एसआरई स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई।

14. पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की अम्ब्रेला स्कीम की सुसंगत उप-स्कीमों के अंतर्गत गुजरात और पंजाब राज्यों को इस माह के दौरान 27.35 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

15. इस माह के दौरान मणिपुर, मेघालय और नागालैंड राज्य सरकारों को 24.48 करोड़ रु. की राशि जारी की गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 (दिनांक 31.12.2018 की स्थिति के अनुसार) के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत कुल 662.47 करोड़ रु. की निधियां जारी की गईं।

16. इस माह के दौरान केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के निकट रिश्तेदारों को अनुग्रह मुआवजे के रूप में लगभग 4.65 करोड़ रु. की राशि मंजूर की गई है।

* * * *